International Journal of Engineering Research & Management Technology
(Peer-Reviewed, Open Access, Fully Refereed International Journal) ISSN: 2348-4039
Volume 11, Issue-3 May-June- 2024 Impact Factor: 7.09
Email: editor@ijermt.org www.ijermt.org

भारतीय लोकतंत्र और मानवाधिकारःएक समसामयिक अध्ययन

डॉ0 राजेश कुमार मीणा

सह आचार्य-समाजशास्त्र, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर

शोध सारः भारत, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, स्वतंत्रता और मानवाधिकारों के लिए संघर्ष का एक समृद्ध इतिहास रहा है। आजादी के बाद हमारे राष्ट्र-निर्माताओं ने ऐसे ही लोकतंत्र को अपनाया था, जिसमें मर्यादा, संयम और अनुशासन की व्यवस्था की गयी थी। भारत विष्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन वर्तमान में भारतीय लोकतंत्र अराजकता की स्थिति में है, जिसे अर्थशास्त्री व राजनयिक जॉन गालब्रेथ ने ‘‘कार्यशील अराजकता’’ कहा है। आज राजनीति में विवेकहीनता, स्वार्थलोलुप्ता, भ्रष्टाचार, अपराधीकरण और माफियाराज की प्रवृत्तियां तीव्र हो रही हैं। देष में बेरोजगारी, प्रदूषण, सामाजिक असमानता, दहेज प्रथा, उत्तम स्वास्थ्य, बालविवाह, बालश्रम आदि अनेक अहम मुद्दे हैं, जो भारतीय लोकतंत्र के नेतृत्व की कार्य प्रणाली में महत्वपूर्ण स्थान नहीं रखते। चिन्ता यह नहीं है कि भारतीय लोकतंत्र हजारों तरह की बीमारियों से ग्रस्त है और वर्तमान में इनमें से बहुत-सी बीमारियां असाध्य-सी प्रतीत हो रही हैं, बल्कि चिन्ता यह है कि इन बीमारियों के ईलाज की खोज नहीं हो रही है। भारत, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, स्वतंत्रता और मानवाधिकारों के लिए संघर्ष का एक समृद्ध इतिहास रहा है।

,एक सफल राष्ट्र में तीन अच्छाइयां होनी चाहिए-राजनीतिक रूप से स्थिरता, मानवाधिकार की दृष्टि से वह राष्ट्र लोकतांत्रिक हो एवं उसमें कानून का शासन हो और समाज में आर्थिक समानता हो। जिस प्रकार एक पौधे को फलने-फूलने और पल्लवित होने के लिए उचित मिट्टी, प्रकाष और वायु की आवश्यकता होती है, उसी तरह किसी देष में लोकतंत्र को पल्लवित और पुष्पित होने के लिए उचित आवष्यकताओं की जरूरत होती है। इन आवष्यक तत्त्वों के बिना लोकतंत्र मुरझा जाता है। गरीबी और भुखमरी लोकतंत्र की षत्रु है, आर्थिक विषमता लोकतंत्र की ज्वाला है। लोकतंत्र में वाणी, विद्या और विचारों की स्वतंत्रता होनी चाहिए। लोकतंत्र एक राजनीतिक परिस्थिति ही नहीं, वरन् शासन और जीवन की लोकजयी नैतिक धारणा भी है। लोकतंत्र केवल अधिकारों पर जीवित नहीं रहता, वरन् उसका मूल कर्तव्य पर आश्रित है। स्वतंत्रता, समानता और बन्धुत्व लोकतंत्र के आदर्ष हैं, किन्तु स्वतंत्रता, समानता और बन्धुत्व तब तक कायम नहीं हो सकते, जब तक व्यक्ति को व्यक्तित्व के विकास के लिए समान अवसर प्राप्त नहीं हो।यह शोधपत्र भारतीय लोकतंत्र और मानवाधिकारों की वर्तमान स्थिति की जांच करता है, तथा उपलब्धियों, चुनौतियों और चिंताओं पर प्रकाश डालता है।

संकेत शब्दः लोकतंत्र, मानवाधिकार, राष्ट्र, अधिकार, कर्तव्य

मानवाधिकार क्या हैं? संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा के अनुसार ये अधिकार सभी मनुष्यों में निहित हैं, चाहे उनकी जाति, लिंग, राष्ट्रीयता, जातीयता, भाषा, धर्म या कोई अन्य स्थिति कुछ भी हो। मानवाधिकारों में जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, गुलामी और यातना से मुक्ति, राय और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, काम करने और शिक्षा का अधिकार और बहुत कुछ शामिल है। ये सभी को बिना किसी भेदभाव के प्राप्त हैं।

उपलब्धियांः

- भारत में नियमित चुनाव, स्वतंत्र प्रेस और स्वतंत्र न्यायपालिका के साथ एक जीवंत लोकतंत्र है।

- देश ने गरीबी को कम करने और स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा में सुधार करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है।

- भारत में एक मजबूत मानवाधिकार ढांचा है, जिसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और विभिन्न राज्य-स्तरीय आयोग हैं।

चुनौतियाँः

- भ्रष्टाचार सुशासन और मानवाधिकारों के लिए एक बड़ी बाधा बना हुआ है।

- भारत की न्याय प्रणाली धीमी और अक्सर अप्रभावी है, जिससे न्याय देने में देरी होती है।

- जाति आधारित भेदभाव, लैंगिक असमानता और धार्मिक असहिष्णुता बनी हुई है।

- भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कभी-कभी अंकुश लगाया जाता है, और असहमति को हमेशा बर्दाश्त नहीं किया जाता है।

चिंताएँः

- बढ़ता राष्ट्रवाद और बहुसंख्यकवाद अल्पसंख्यक अधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए खतरा पैदा करता है।

- असहमति और विरोध प्रदर्शनों से निपटने के सरकार के तरीके ने मानवाधिकार उल्लंघनों के बारे में चिंताएँ बढ़ा दी हैं।

- भारत के मानव विकास सूचकांक, जैसे शिशु मृत्यु दर और मातृ स्वास्थ्य, खराब बने हुए हैं।

15 अगस्त, 1947 को संविधान सभा और राष्ट्र को संबोधित करते हुए पं. जवाहर लाल नेहरू ने कहा था- ‘‘वर्षों पहले हमने भाग्यवधू से एक प्रतिज्ञा की थी और वह समय आ रहा है, जब हम उस प्रतिज्ञा को समग्र रूप से पूरी तौर पर न सही, काफी दूर तक पूरा करेंगे।’’आज जबकि हम सगर्व अपना गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, तो विचारणीय है कि क्या हमने अपने सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित कर लिया है? क्या सबको विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था एवं उपासना की सम्पूर्ण स्वतंत्रता मिली हुई है? क्या हम अपने समाज में मानवाधिकारों की ऐसी व्यवस्था स्थापित करने में सफल हैं, जिसमें हर व्यक्ति की गरिमा सुरक्षित हो सके?

हमारे समाज का एक हिस्सा बुदबुदाते बोतली पेय गटकता है, जबकि समाज का दूसरा हिस्सा चुल्लू भर गन्दे पानी से ही गुजारा करता है। भारत में गरीबों की संख्या सबसे ज्यादा है। विश्व के एक तिहाई गरीब लोग भारत में निवास करते हैं। साठ फीसदी से ज्यादा लोग खुले आसमान के नीचे दैनिक क्रियाएं सम्पन्न करते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालो की संख्या ब्रिटेन की आबादी से तीन गुना ज्यादा है।अर्थशास्त्री प्रो0 अमर्त्यसेन लिखते है कि ‘‘भारत विरोधाभासी आकड़ों का देष है। एक और भारत का मध्यमवर्ग दुनिया के विकसित देषों में प्रतिस्पर्द्धा का लौहा ले रहा है, वही दूसरी ओर अभी भी साठ के दषक तमाम समस्याओं ने विष्व परिदृष्य को भारत की छवि को धब्बा लगा रहा है। भारत एक ऐसा देष जहां गरीबी और विलासिता एक साथ चल रहे हैं।’’7

अर्थात् वर्षों पहले भाग्यवधू से जिस नये जीवन का वादा किया था, वह इक्कीसवीं सदी के भारत को आज भी उपलब्ध नहीं है। इस परिप्रेक्ष्य में भारत में मानव अधिकारों की स्थिति का अनुमान लगाना का कठिन विषय नहीं है। मेरा यह मानना है कि मानवाधिकार चर्चा का विषय नहीं, आचरण का विषय है। आज सारी चर्चाएं और बहस सिर्फ मानवाधिकारों को समझने की प्रयास तो कर सकती है, किन्तु जरूरतमंदों को फायदा पंहुचाती हुई नहीं दिखाई देती। मानवाधिकार एक व्यक्ति की राष्ट्रीयता, निवास, लिंग या जन्म, जाति, मूल, रंग, धर्म या अन्य स्थिति पर ध्यान दिए बिना सभी मनुष्यों के लिए समान अधिकार है, किन्तु भारत में मानवाधिकारों की व्यवहारिक स्थिति का आंकलन करें तो यह साफ जाहिर होता है कि मानवाधिकार व्यक्ति की हैसियत को देखकर ही मिलते है। आज कितने भारतवंशी यह जानते है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की मानवाधिकार घोषणा के आधार पर विश्व के हर नागरिक को तीस प्रकार जो अधिकार दिए गये है, वे भारत की जनता के लिए भी लागू है।

भारत की लोकसभा ने 1993 में मानवाधिकार संरक्षण कानून बनाकर प्रत्येक नागरिक को मानवाधिकारों के संरक्षण की व्यवस्था तो की है, किन्तु चिन्तनीय विषय यह कि उनका कितना पालन हो रहा है। कहने के लिए तो भारत में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, दलित आयोग आदि सब कुछ है, किन्तु ये सभी संस्थाएं देष में बढ़ती अराजकता को नहीं रोक पा रही हैं।

यहां यह उल्लेख करना उचित समझता हूं कि भारत में प्राचीन काल से ही मानवाधिकारों के प्रति विशेष सजगता दिखाई गयी। महिलाओं के प्रति 'यत्र नार्यस्तु पूज्यते, रमन्ते तत्र देवता' तथा विश्व कल्याण के लिए 'वसुधैव कुटुम्बकम्' व 'जियो और जीने दो' वाली अवधारणा लेकर भारत में मानव जाति का विकास हुआ। यह तथ्य सर्व विदित है कि भारत में मानवाधिकारों के संरक्षण की व्यवस्था प्राचीन काल में कानून की अपेक्षा सामाजिक व्यवस्था पर अधिक आश्रित थी। इसके बावजूद भी वर्तमान भारत में मानवाधिकार उल्लंघन के मामले बार-बार देखने को मिलते हैं। जब हम लोग अखबार एवं टेलीविजन पर देखते हैं कि एक महिला कारचालक को दूसरी कार में सवार दो युवकों ने अपनी कार में लगी मामूली खरोंच पर क्रोधित हो कर सरे आम सड़क पर पीट दिया और उसकी सहायता के लिए आगे कोई नहीं आता तो 'यत्र नार्यस्तु पूज्यते' का वैदिक वाक्य का दावा झुठा लगने लगता हैं।

यह कहा जाता है कि मानव ब्रह्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना है। मानव को सर्वाधिक बुद्धिमान और संवेदनशील प्राणी माना गया है। सृष्टि के रचनाकार ने बुद्धि एवं विवेक प्रधान मानव से यह अपेक्षा की थी कि वह सुख एवं समृद्धि का प्रसार करेगा। महर्षि व्यास ने भी मावन को विधाता की श्रेष्ठतम रचना स्वीकार करते हुए लिखा था कि-''नाहीं मनुष्यात् श्रेष्ठतरः हिं किंचित्'' लेकिन आज का मानव भौतिकवाद की विनाषकारी चादर ओढ़े हुए एक दूसरे मानव को नष्ट कर सृष्टि के विनाष में लगा है। किसी कवि ने ठीक ही लिखा है कि-

''कानून की गिरफ्त में न्याय जकड़ा है,

शैतान से इंसान हर बार लड़ा है।

कहां तक लाज बचा पायेगी सीता,

हर चौराहे पर आज रावण खड़ा है।''

चिन्तन का तथ्य यह है कि लोकतंत्र में सारी बीमारियों का कारण मनुष्य का स्वार्थ है, जबकि राज्य एवं व्यवस्था की प्राचीनतम मांग का सर्वोच्च आधार यही है कि राज्य सर्वप्रथम मनुष्य की स्वार्थी प्रवृत्तियों और कुप्रवृत्तियों पर नियत्रंण लगायेगा। अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने भी लिखा है कि-''राज्य का सर्वोच्च आधार सज्जनों की रक्षा और दुर्जनों को दण्ड है।'' किसी राष्ट्र की विधि एवं व्यवस्था अपने राष्ट्रवासियों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक एवं संक्षेप में सर्वांगीण विकास को यदि सुनिश्चित नहीं कर पा रही है, तो निश्चय ही यह मानवाधिकारों की सुनिश्चिता का अभाव है।

भारत में मानवाधिकारों की वर्तमान स्थिति

सर्वप्रथम इस प्रश्न पर चिन्तन सामयिक होगा कि भारतीय लोकतंत्र आज जिन सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक विडंबनाओं का सामना कर रहा है, क्या इन्हें मानवाधिकारों के संरक्षण एवं संवर्द्धन के प्रति चुनौती के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए? इस प्रश्न का समाधान इस प्रष्न में निहित है कि राज्य के अस्तित्व का अर्थ एवं उद्देश्य क्या है? इस बिन्दु पर राजनीति विज्ञान के विद्धान अरस्तु का कथन है कि - ''राज्य का जन्म व्यक्ति के सद्जीवन के लिए हुआ है और सद्जीवन के लिए बना हुआ है।'' भारतीय लोकतंत्र की जिन बीमारियों का अध्ययन हम कर चुके है, उन सब में मानवाधिकारों की रक्षा और सद्जीवन की प्राप्ति के सरोकारों को अर्थहीन बना दिया है। मानवाधिकारों के परिप्रेक्ष्य में उनके प्रभावों का वर्गीकरण तीन भागों में विभाजित कर सार्वजनिक रूप से प्रचारित किया गया है। मानवाधिकारो के ये तीन वर्ग निम्नलिखित हैं-

प्रथम अधिकार- कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, विचार अभिव्यक्त करने, गोपनीयता, निर्वाचन व शासन में भागीदारी तथा वैधानिक संगठन बनाकर शांतिपूर्ण सभाएं करने का अधिकार सभी भारतीय नागरिकों को दिया गया है। क्या भारत में इन सभी मानवाधिकारों का लाभ सभी उठा रहे हैं। यह कहा जाता है कि भारत में न्याय के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं, लेकिन क्या हम सब सचमुच न्याय पा सकते हैं और अन्याय से निजात पा सकते है?

आंध्रप्रदेष उच्च न्यायालय के न्यायाधीष वी0वी0 राव ने ‘‘न्यापालिका में सुशासन’’ को लेकर पढे पत्र में कहा कि-‘‘देष में सभी छोटे-बड़े न्यायालयों में लगभग 03 करोड़ 12 लाख 08 हजार मामले लम्बित हैं। न्यायालयों की संख्या के हिसाब से इन मामलों को निबटाने में लगभग 300 वर्ष लग जायेंगे।’’1 इस सत्य से मुंह मोड़ना अत्यन्त कठिन है कि सामान्य भारतीय न्याय की प्राप्ति एवं अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय की षरण लेने से पहले सौ बार सोचता है। ब्रिटानिया शासन के घिसे-पिटे कानून (3200 कानून)आज भी चल रहे हैं।

इस प्रश्न का जबाव भारत के पूर्व न्यायधीष एम0पी0 भरूचा की इस टिप्पणी में खोजा जाना चाहिए जो उन्होंने अपने कार्यकाल में दी थी- ‘‘भारत में 20 प्रतिषत जजो का चरित्र संदेहास्पद है।’’द्वितीय अधिकार- हर व्यक्ति को भोजन, वस्त्र, मकान, रोजगार और जीवन की सुरक्षा का अधिकार है। भारत में असंख्य लोग इन अधिकारों से वंचित हैं। अग्रलिखित आंकड़े यह सिद्ध करते हैं कि स्वतंत्रता के 65 वर्षों के बाद भी लगभग 40 प्रतिषत भारतीय परिवार एक कमरे वाले मकान में रहते हैं। 39 प्रतिषत विवाहित जोड़ों के लिए अपना अलग षयन कक्ष नहीं है। देष का एक भी राज्य ऐसा नहीं है जो 100 प्रतिषत घरों में बिजली कनैक्षन का दावा करे। स्पष्ट है कि निर्धनता एवं भुखमरी भारत की नियति बन चुकी है।1

तृतीय अधिकार- हर नागरिक को सामाजिक सुरक्षा तथा सांस्कृतिक अधिकार हैं इन्हीं अधिकारों में शिक्षा का अधिकार भी शामिल है, जिसकी दुर्दशा हम सभी देख रहे हैं। जिसके पास सत्ता है, पूंजी है, माफिया गिरोह है, वे लोग सरकारी कामकाज पर आज भी उतने ही हावी हैं, जितने आजादी से पहले थे, सामान्य जनता के लिए सभी दरवाजों पर ताले लगे हुए हैं।

नारी के मानवाधिकारों के हनन की घटनाएं रोज अखबारों में पढ़कर कड़वा घूंट पी कर पढ़ लेते होंगे, लेकिन यह सच है कि कन्याभ्रूण हत्या के माध्यम से महिलाओं को इस संसार में प्रवेष से ही वंचित कर दिया जाता है। भारत में हर एक घंटे में एक महिला बलात्कार की शिकार होती है।1राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि- ‘‘हमारे समाज में जो सबसे अधिक हताष हुआ है, वे महिलाएं ही हैं और इस वजह से हमारा अधःपतन भी हुआ है।’’ जिस समाज स्त्रियां सुरक्षित न हो , वह समाज स्वतंत्र और सभ्य होने का दावा नहीं कर सकता।

किसी भी व्यवस्था में मानव हित सर्वोपरि होता है और अगर हम वास्तव में मनुष्य को महत्त्व देना चाहते हैं, तो सर्वाधिक ध्यान बच्चों पर देना होगा। युनिसेफ की रिपोर्ट के आधार पर विष्व के 25 करोड़ बालश्रमिकों में से एक-तिहाई भारत में है। उस भारत में, जहां प्रत्येक वर्ष बाल दिवस मनाया जाता है।6

उपरोक्त विश्लेषण यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि भारतीय समाज में विडंबना यह है कि मानव अधिकारों के प्रथम रक्षक शासक की भूमिका भी इन प्रश्नों पर सकारात्मक नहीं है। लोकतंत्र में स्वतंत्रता एवं समानता के प्राथमिक अंष भी यदि जनता को उपलब्ध नहीं है तो अन्य मानवाधिकारों की बात तो व्यर्थ है, क्योकि स्वतंत्रता व समानता ही वे दो प्रमुख हिमखण्ड़ हैं, जहां से मानव अधिकारों की विभिन्न नदियां निकल कर मनुष्य जीवन को सद्जीवन की ओर ले जाती हैं।

जिस देष में निर्धनता, महिला उत्पीड़न, बालश्रम, यौन शोषण, राजनीति में नैतिक मूल्यों का अवमूल्यन, क्षेत्रवाद, जातिवाद, साम्प्रदायिकता का तांड़व हो रहा है,े इनसे जब तक मुक्ति नहीं होती, तब तक भारत में मानव अधिकारों की वास्तविक अर्थों में स्थापना की बात करना हास्यास्पद होगा।

निष्कर्षः

भारतीय लोकतंत्र और मानवाधिकारों के सामने महत्वपूर्ण चुनौतियाँ हैं, लेकिन देश ने उल्लेखनीय प्रगति भी की है। लोकतंत्र को मजबूत करने और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए, भारत को भ्रष्टाचार को संबोधित करना चाहिए, न्याय प्रणाली में सुधार करना चाहिए और अल्पसंख्यक अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए।

सिफारिशेंः

- भ्रष्टाचार विरोधी तंत्र को मजबूत करना और भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच करना।

- न्याय प्रदान करने में तेज़ी लाने के लिए न्यायिक सुधारों को लागू करना।

- अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा और भेदभाव को रोकने के लिए कानून बनाना।

- समावेशी विकास को बढ़ावा देना और मानव विकास सूचकांकों को संबोधित करना।

संदर्भः

1 . भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। (2020)। वार्षिक रिपोर्ट

2. भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद। (2020)। भारत का मानव विकास सूचकांक।

3. एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया। (2020)।

4.इण्डिया टुडे (हिन्दी) 23 अगस्त 2004 नई दिल्ली

5.डॉ0 बी0एल0 फड़िया-भारत में लोकतंत्र, कैलाष पुस्तक सदन, भोपाल

6.डॉ0 पुनित कुमार- लोकतांत्रिक भारत में मानवाधिकार(आलेख) भारत में लोकतंत्र, कैलाष पुस्तक सदन, भोपाल

8. दैनिक भास्कर,बीकानेर, गुरूवार 18 दिसम्बर 2014